



dfo\_chakrata\_uta@yahoo.co.in  
टैली, फैक्स नं०-०१३६०-२७५०७८

## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता। पंत्रांक- 156 / 12-1 दिनांक, चकराता 13 जुलाई 2015

सेवा में,

वन संरक्षक,  
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,  
देहरादून

विषय:- जनपद-देहरादून में विसोगीलानी से उटैल होते हुये थैना मन्दिर होकर काहा-नेहरा-पुनाह मोटर मार्ग का निर्माण किमी० 1 से 5 तक।

संदर्भ :- 1-आपका पंत्रांक-2585 / 12-1(1) दि० 02.06.2015  
2-प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/11427/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक सदर्भित पत्र के कम में विषयगत मोटर मार्ग के प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित है।

बिन्दु सं०-१- भाग-२ प्रपत्र में निर्धारित कॉलमों के अनुरूप सूचना पूर्ण कर दी गई है।

बिन्दु सं०-२- वन पंचायत समिति का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है।

बिन्दु सं०-३- प्रस्तावक विभाग के व्यय पर ट्रांसप्लांट कराये जाने हेतु प्रस्तावक विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

अतः निराकरण आख्या आपकी सेवा में प्रेषित।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

(डा० दिक्षितर सिंह)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
चकराता वन प्रभाग, चकराता

प्रतिलिपि-अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया को उनके पंत्रांक-1309 / 6सी दि० 30.06.2015 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डा० दिक्षितर सिंह)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
चकराता वन प्रभाग, चकराता

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून के ग्राम-विसोगीलानी से उटेल होते हुये थैना मन्दिर होकर काहा—नेहरा—पुनाह मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।  
(लम्बाई—1—4.700 किमी)

भाग -- 2  
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं0.....

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद देहरादून के ग्राम-विसोगीलानी से उटेल होते हुये थैना मन्दिर होकर काहा—नेहरा—पुनाह मोटर मार्ग निर्माण हेत 2.065 है 0 वन भूमि का लोनिवि सहिया को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु हस्तान्तरण का प्रस्ताव।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	चक्रता वन प्रभाग
(iv)	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल है0 में	2.065 है 0 वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	1.750 है 0 वन पंचायत भूमि 0.315 है 0 सिविल सोयम भूमि (River Range Kalsi) <b>2.065 है 0 कुल वन भूमि</b>
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल, एफ.आर.एल-2 मी0 पर परिणामना और एफ.आर.एल-4 मी0 भी संलग्न किये जाये	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल 22 वृक्ष बाधित हैं जिनमें बांज वृक्षों की संख्या 0 है। वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 45, 46, 47 एवं 48 पर संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	इस बाबत प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून के भूवैज्ञानिक की भूगर्भीय आख्या संलग्न-प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 71 से 74 तक चर्पा है।
(ix)	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित स्थल आरक्षित वन भूमि के सिविल सोयम भूमि (River range Kalsi) की सीमा के अन्तर्गत है।
(x)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कौरीडोर आदि का भाग है (यदि हां तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जायें)	नहीं। इस बाबत प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 57 पर प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जात की दुलभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें	नहीं।
(xii)	यदि कोई सुरक्षित पुरातत्वीक/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित हैं। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि आपेछित हो तो दें।	नहीं। इस बाबत प्रस्तावक/लोक निर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 78 पर प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनत है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बाबत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या 85 पर संलग्न है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई काया किया गया है।	नहीं।

	(हां / नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्लन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 83 एवं 84 पर संलग्न है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इंसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्लन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 83 एवं 84 पर संलग्न है साथ ही प्रस्तावित परियोजना स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण 90 हेतु भी प्राक्लन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 90 पर संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां :— जलवायू के अनुरूप मिश्रित प्रजातिया कार्यान्वयन ऐजेंसी :— स्वयं वन विभाग समय :— उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लागत :— क्षतिपूरण वृक्षारोपण हेतु ₹0 5.369 लाख का प्राक्लन पृष्ठ संख्या 86 एवं 84 पर संलग्न है एवं रिक्त स्थान उचित वृक्षारोपण हेतु ₹0 9.41 लाख का प्राक्लन पृष्ठ संख्या 90 पर संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	₹0 5.824 लाख क्षतिपूरक वृक्षारोपण। ₹0 9.80 लाख परियोजना के आस-पास रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राक्लन प्रतिहस्ताक्षरित और प्रमाणित है।
11	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधिनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग के संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके पृष्ठ संख्या 20 पर संलग्न है। अद्योहस्ताक्षरित द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है।
12	विभाग / जिला प्रोफाइल	चक्राता वन प्रभाग / जिला – देहरादून
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	3088 वर्ग किमी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्रफल	2116 वर्ग किमी0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 346.902 है। वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ..... है0 है इसमें आरक्षित वन क्षेत्र ..... है0 है।
(iv)	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल क्षतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि – (ख) वनोत्तर भूमि पर –	(क) 346.902 है0 (ख) रिक्त
(v)	अब तक क्षतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर –	(क) 673.61 है0 में प्रभाग के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है।

	(ख) वनोत्तर भूमि पर -	(ख) रिक्त
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिपेक्ष में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार तथा अद्योहस्ताक्षरित द्वारा दिनांक 19/03/15 को प्रश्नगत भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक :- 13/3/2015

स्थान :- देहरादून

हस्ताक्षर

नाम :- डॉ. दिलाल ठिक्की

प्रधानमंत्री कन्याधिकारी

सरकारी मोहर

बकाया (देहरादून)

13/3/2015

## प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून में विसोगीलानी से उटैल होते हुए थैना मन्दिर होकर काहा—नेहरा—पुनाह मोटर मार्ग का निर्माण किमी 1 से 5 तक।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना से 10-20 व्यास वर्ग के वांछित वृक्षों को आस-पास खाली पड़ी भूमि पर ट्रांसप्लान्ट कराने का व्यय का वहन प्रस्तावक विभाग लो०नि०वि० द्वारा किये जाने पर सहमत हैं तथा सहमति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

✓  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि०,

सहिया  
सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०,  
सहिया

अधिशासी अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि०  
सहिया

Executive Engineer  
Temporary Division, P.W.D.,  
Sahiya

Photocopy Allowed

✓  
सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०  
सहिया

## वन पंचायत समिति का अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड कालसी में विसोगिलानी से उटैल होते हुए थैना मन्दिर महासू देवता तक मार्ग का निर्माण।


वन पंचायत समिति ग्राम- थैना की दिनांक 15/06/15 को सरपंच की अध्यक्षता में बैठक की गयी जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु 1.750 हौं वन पंचायत भूमि को मार्ग निर्माण हेतु लो०नि०वि० प्रस्तावक विभाग को मार्ग निर्माण हेतु जन हित में मार्ग निर्माण हेतु देने के लिये सर्व सम्मति से निर्भर्त्ता लिया गया।

अतः उक्त पारित प्रस्ताव के आधार पर वन पंचायत समिति का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

उपस्थित सदस्य -

हस्ताक्षर

1. लूपनी शिंदे
2. अतारैंद
3. साधारणी कुम्ही
4. अमर
5. मरनीदू
6. हान्दुराहस



लूपनी शिंदे सरमापिता  
06/07/2018  
प्रभालदार

पी० एस० नेही  
राजस्व उपनिवेशक  
क्षेत्र.....

5/2/2018 Photocopy All Right Reserved

29-1-18  
का ५८  
सहायक अधिकारी  
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०

सहिता